—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 21 / 2024

उनवान

1. ओमप्रकाश,
2. रामस्वरूप पि. राजमल,
3. अशोक पुत्र हंगामीलाल,
4. चन्द्रकान्ता पत्नी हरिशंकर जाति ब्राहमण नि. ग्राम झडवासा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गंगा पत्नी रामस्वरूप,
2. जीवराज,
3. राधेश्याम,
4. रामकिशन,
5. हंसराज,
6. सज्जन,
7. सत्यनारायण पि. रामस्वरूप,
8. मुकेश,
9. रामराज,
10. सुरेशचन्द पुत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल,
11. सीता पुत्री रामगोपाल उर्फ गोपाल,
12. कैलाश पुत्र सुखदेव,
13. कान्ता पुत्री जगदीश,
14. ताराचन्द पुत्र शिवराज,
15. दीपा पुत्री जगदीश,
16. भागचन्द पुत्र जगदीश,
17. भागचन्द पुत्र सुखदेव,
18. भोलाराम पुत्र जगदीश,
19. मुकेश पुत्र जगदीश,
20. रामकन्या पुत्र जगदीश,
21. रामेश्वरी पत्नी शिवराज,
22. विमला पुत्री शिवराज,
23. सीता पुत्री जगदीश,
24. सीमा पुत्री जगदीश,
25. रामेश्वर पुत्र सुखदेव, समस्त जाति खाती नि. झडवासा, नसीराबाद,
26. मैनेजर, यूनियन बैंक आर्फ इण्डिया बाघसुरी,
27. मैनेजर, यूनियन बैंक आर्फ इण्डिया भवानीखेडा,
28. मैनेजर बडौदा श्रेत्रीय ग्रामीण बैंक लोहरवाड़ा, नसीराबाद,
29. राज0 सरकार जरिरयें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 2, 10 व 16 जरियें अधिवक्ता सुखदेव चौधरी,
29 जरियें राज. सरकार, शेष अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

30. मिश्रीलाल,
31. राधेश्याम,
32. मिथलेश, पुत्र मोहनलाल,
33. सुरेश पि. सोहनलाल,
34. रामकन्या पुत्री राजमल समस्त जाति ब्राहमण नि. झडवासा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 29.8.25

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 2940 व 2946 कुआ प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 2874 व 2873 में से होकर अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 2930, 2931/4678, 6038/2937, 2939 से पूर्व से पश्चित दिशा की भूमि का उपयोग करते हैं। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थीगण को उक्त आराजी में से 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 10 व 16 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2944, 2945 व 2946 स्वयं प्रार्थीगण की खातेदारी का हैं। जिसमें अतिलघुतम मार्ग है। उक्त मार्ग का प्रार्थीगण उपयोग—उपभोग करते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की डी.एल.सी. राशि बढाने के लिये उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। हाल खसरा नम्बर 2874 राजस्व अभिलेख में सिवायचक खातें में बारानी दर्ज है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 2940 व 2946 कुआ प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 2874 व 2873 व अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 2930, 2931/4678, 6038/2937, 2939 में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई लघुतम/दीर्घतम मार्ग नही है। अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2737 मुख्य मार्ग से सिवायचक खसरा नम्बर 2873 व 2874 से अप्रार्थीगण के खातेदारी आराजी में से रासता प्रस्तावित किया है। अप्रार्थी का कथन है कि खसरा नम्बर 2944, 2945 व 2946 स्वयं प्रार्थीगण की खातेदारी का है। जिसमें अतिलघुतम मार्ग है। उक्त मार्ग का प्रार्थीगण उपयोग—उपभोग करते है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की डी.एल.सी. राशि बढाने के लिये उक्त आवेदन पत्र पेश किया है। किन्तु मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2944, 2945 व 2946 में आवागमन हेतु कोई मार्ग नही दर्शाया है। खसरा नम्बर 2944, 2945 व 2946 अप्रार्थीगण की खा[illegible] है। उक्त खसरा नम्बर तक आवागमन हेतु कोई मार्ग राजस्व मानचित्र में नही है। मौका रिपोर्ट में भी अनय वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से अन्य मार्ग उपलब्ध होने बाबत कोई दस्तावेज अथवा राजस्व अभिलेख पेश नही किये है। प्रार्थीगण की आराजी मुख्य मार्ग से अत्यधिक दूरी पर स्थित है। अतः प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की डी.एल.सी. राशि बढाने के लिये उक्त आवेदन पत्र पेश करने का कथन सत्य सिद्व नही होता है। धारा 251 ए की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

अवधारणा खातेदार को कृषि कार्य के लिये निर्बाध रासता उपलब्ध कराने की है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट के तथ्यों से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता सिद्व होती है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र 15 फिट चौडे रास्ते की मांग की गयी है। मौका रिपोर्ट मे कोई विपरित तथ्य प्रकट नही हुये है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को कोई ठोस खण्डन पेश नही किया है। अतः प्रार्थीगण 15 फिट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा 2874 में से 267.96 वर्ग मीटर, 2873 में से 739.20 वर्ग मीटर, 2930 में से 203.28 वर्ग मीटर, 2931/4678 में से 133.98 वर्ग मीटर, 6038/2937 में से 138.60 वर्ग मीटर व 2939 में से 138.60 वर्ग मीटर (4.62 मीटर चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले हाल खसरा 2874के 13864/रूपये, 2873के 38246/रूपये, 2930 के 26121/रूपये, 2931/4678 के 17216/रूपये, 6038/2937 के 7171/रूपये व 2939 के 17810/रूपये संबधित खसरा नम्बर के खातेदारान/सिवायचक खातें में भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested